

# कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर (छ.ग.)

Phone No. ( 07775 ) 266992 (O.)

E-mail Id - dfo.surajpur@gmail.com

क्रमांक/मा.चि./

154

सूरजपुर, दिनांक 20/04/2017

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,

सरगुजा वन वृत्त, अम्बिकापुर।

विषय:-

Diversion of 19.907 ha. of Forest land in favour of Executive Engineer, CSPICL for laying and construction of 132 Kv DCDS Vishrampur - Pratappur Transmission Line in Surajpur District in the State of Chhatisgarh - regarding.

- पंजीयन क्रमांक - FP/CG/TRANS/17263/2015

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर का पत्र क्र. /F No. FC- II/CH-52/2016-NGP/1223 दिनांक 05.01.17

---00---

विषयानुसार संदर्भित पत्र में सूरजपुर जिले में सूरजपुर वनमण्डल के प्रतापपुर परिक्षेत्र अन्तर्गत लिले ऑफ 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. विश्रम्पुर प्रतापपुर लाईन के लो नम्बर 31/0 से टोपिंग कर प्रस्तावित 132/33 के.व्ही. उपकेंद्र वाइफनर लाईन में प्रभावित 19.907 हे. वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में वांछित जनकारी बिन्दुवर निम्नानुसार है।

| क्र. | आपत्ति विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | आपत्ति का निराकरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i    | Part III of the Form - A does not bear the name of the signing authority. Hard copy of the Part - I submitted along with the proposal has not been signed by the User Agency.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | फार्म-A का भाग-III की कार्यवाही आपके कार्यालय से पूर्ण किया जान है। अवेदक संस्थान द्वारा Part I की जनकारी संलग्न किया गया है। संलग्नक क्रमांक-1                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ii   | Detail of area available for Plantation of dwarf Species preferably medicinal in the clearance available under the conductor and scheme of plantation has not been provided in the proposal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | कन्डक्टर के नीचे दौने औषधि प्रजाति के वृक्षारोपण हेतु संलग्न किया गया है। संलग्नक क्रमांक-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| iii  | Examination of the compliance of scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 revealed that as per the proceedings of the Sub Divisional Level Committee, 6 right holders have been identified in the Revenue Forest Land. Action taken / proposed to be taken towards the settlement of rights may be intimated by the State Government. Further, documentary evidences in support of settlement of rights viz. record of meeting of the Gram Sabha, Sub-Divisional Level Committee have not been uploaded on the website of the MoEF&CC. Original copy of the certificate issued by the District Collector concerned may be submitted by the State Government. | उत्तीसगढ़ शासन, राजस्थ एवं आपदा प्रबंधन विभाग सूरपुर के द्वारा जारी संशोधित आदेश क्रमांक एफ-7-7 /सात - 1/ 2014 दिनांक 01.06.2016 के अनुरूप लाईन के नीचे प्रभावित कृषकों को राजस्व विभाग के द्वारा निर्धारित मुखवज का भुगतान आवेदक संस्थान द्वारा किया जावेगा। कलेक्टर सूरजपुर के पत्र क्रमांक / 591 दिनांक 15.11.2016 के द्वारा जारी FRA प्रमाण पत्र की नूल प्रति संलग्न किया गया है। संलग्नक क्रमांक-3 |

प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सम्प्रेषित।

संलग्न:- उपर्युक्तानुसार 05 प्रतियों में।

पृ.क्रमांक/मा.चि/ 155

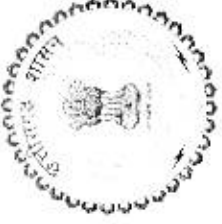
वनमण्डलाधिकारी  
सूरजपुर वनमण्डल, सूरजपुर  
सूरजपुर, दिनांक 20/01/2017

प्रतिलिपि:- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. कार्यपालन अभियन्ता, अति उच्च दाव निर्माण संभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारोषण कंपनी मर्या.कोरबा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी  
सूरजपुर वनमण्डल, सूरजपुर

# छठ नं० रासना



## वन विभाग

### परियोजना प्रतिवेदन

सूरजपुर जिले के सूरजपुर वनमंडल अंतर्गत लिलो आफ 132 के खी डी सी डी एस विश्रामपुर - प्रतापपुर पारोपण लाईन के लोकेशन नंबर 31/0 से देमिंग कर 132/33 के खी उपकेन्द्र वाङ्गफनगर तक पारोपण लाईन के

नीचे 3 मीटर बेल्ट में औषधीय वृक्षारोपण

(औषधीय वृक्षारोपण )

प्रस्तावित रुकबा - 2.212 हेक्टेयर

कक्षा क्रमांक - पी-110, पी-111, पी-112, पी-113, पी-120, आर-132 एवं पी-131

राजस्व वन भूमि -

214, 212, 50, 83, 82, 73, 1411, 1426, 1428, 1430, 1603, 263, 255, 244, 1824, 1850, 1888, 104, 106, 117, 161, 166, 181, 180, 179, 178, 88, 94, 132, 133, 145, 147, 177, 178, 192, 236, 240, 243, 303, 987, 988, 990, 989, 996, 994, 995, 1000, 1017, 1021, 1022, 1028, 1038, 1031, 147, 188, 244, 245, 246, 247, 260, 1414, 1415, 1416, 1417, 1419, 1423, 1480, 1487, 1488, 1500, 152, 6, 1747, 1737, 561, 490, 249, 248/1, 186, 64, 61, 57, 168, 199, 284, 286, 308

वनपरिक्षेत्र : प्रतापपुर  
सूरजपुर वनमंडल, सूरजपुर (छठ नं०)

## परियोजना प्रतिवेदन

पुर लिने के सूरजपुर वनमण्डल अंतर्गत लिने आफ 132 के वही डा सी डा एस विश्रामपुर - प्रतापपुर पारोषण लाईन के शान नंबर 31/0 से टैपिंग कर 132/33 के वही उपकेन्द्र वाइफनगर तक पारोषण लाईन के नीचे 3 मीटर बेल्ड में औषधीय वृक्षारोपण

लोटित की जाने वाली प्रगति- प्रताप कुम्हडा, बाँय विरिग, काली गुसली, सफेद मुसली, सतावर, अश्वगंधा, केऊ दण्ड, बत्ता, बिदाही कण्ड, गिलोय, केपाच, नागरमोथा, अजन्तमूल, पी कुवार, सर्पगन्धा।  
कक्षा क्रमांक- पी-110, पी-111, पी-112, पी-113, पी-120, पी-132 एवं पी-131

परिक्षेत्र - प्रतापपुर

प्रस्तावित रकबा - 2.212 हेक्टेयर

प्रचलित मजदूरी दर- 239.00 प्रति मा.दि.

प्रथम वर्ष 2017-18

| क्र.                     | कार्य विवरण                                                                                                       | मात्रा         | दर                     | राशि      |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------|
| 1                        | रोपण स्थल का सर्वेक्षण एवं सीमांकन कार्य, उपचार मानचित्रण एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना                        | 2.212 हे०      | 2 मा.दि./हे०           | 1057.33   |
| 2                        | क्षेत्र की सफाई एवं सी.बी.ओ. कार्य                                                                                | 2.212 हे०      | 5 मा.दि./हे०           | 2643.34   |
| 3                        | स्टेकिंग कार्य 1x1 मी. अंतराल में खुंटी बनाई बुलाई गड़ाई सहित                                                     | 22120 खुंटी    | 3.50 मा.दि. प्रति हजार | 18503.38  |
| 4                        | कैसिंग :-                                                                                                         |                |                        |           |
| I                        | सीमेंट पोस्ट क्रय करना 2.0 मी. लम्बाई 1x1 मी. के अंतराल पर प्रत्येक 10 पर 1 स्ट्रेनर पोस्ट                        | 77 नग          | 195.00 प्रति नग        | 15015.00  |
| II                       | कैसिंग हेतु गडढा खुदाई कार्य 30x30x40 cm                                                                          | 77 नग          | 8.00 प्रति गडढा        | 61600.00  |
| III                      | कांटातार क्रय करना                                                                                                | 143 कि.ग्रा    | 70.00 प्रति कि.ग्रा    | 10010.00  |
| IV                       | सीमेंट पोल फिक्सिंग स्ट्रेनर पोस्ट एवं सामग्री सहित                                                               | 77 नग          | 85.00 प्रति पोल        | 6545.00   |
| V                        | कांटातार सत लाईनों में यू.नेल्स/बाईडिंग वायर की सहायता से खींचकर लगाना तथा कंटिले शमी से आवश्यकतानुसार जाली बनाना | 143 रनिंग मीटर | 15.00 प्रति रनिंग मीटर | 2145.00   |
| 5                        | पौधा गड्डन खुदाई कार्य 30x30x30 cm.                                                                               | 22120 गड्डे    | 3 मा.दि./सै०           | 158600.40 |
| 6                        | कम्पोस्ट /गोबर खाद परिवहन सहित                                                                                    | 55 घ.मी.       | 880.00/ घ.मी.          | 48400.00  |
| 7                        | गड्डों में मिट्टी एवं खाद का मिश्रण करना                                                                          | 22120 गड्डे    | 2.00 प्रति गड्डा       | 44240.00  |
| 8                        | रोपणी व्यय:- 10 प्रतिशत कौजुअल्ली सहित                                                                            | 24420 पौधा     | 10.00 प्रति पौधा       | 244200.00 |
| 9                        | सिंचाई हेतु ट्यूबवेल खोदाई एवं पम्प फिटिंग                                                                        | एल. एम्.       | 1.50 लाख               | 150000.00 |
| 10                       | पाईप लाईन फिटिंग हेतु सामग्री क्रय एवं मजदूरी                                                                     | एल.एम्.        | 1.00 लाख               | 100000.00 |
| 11                       | अन्य आकस्मिक व्यय: बोर्ड लगाना, गेट लगाना रस्सी, चूना क्रय इत्यादि                                                | 2.212 हे०      | L.S.                   | 42524.00  |
| प्रति हे० व्यय-499350.56 |                                                                                                                   |                |                        | 905483.45 |

योग:-

वनपरिक्षेत्राधिकारी

वनपरिक्षेत्र: प्रतापपुर

उपवनमण्डलाधिकारी

उपवनमण्डल प्रतापपुर

वनमण्डलाधिकारी

सूरजपुर वनमण्डल

सूरजपुर (80000)

**द्वितीय वर्ष 2018-19**

| क्र.                        | कार्य विवरण                                                  | मात्रा        | दर                    | राशि      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| 1                           | रोपणी में पौधों का रखरखाव                                    | 24332 पौधा    | 5.00 प्रति पौधा       | 121660.00 |
| 2                           | आगामी वर्ष के लिए 10 प्रतिशत प्रतिस्थापना हेतु पौधा तैयारी   | 2212 पौधा     | 10.00 प्रति पौधा      | 22120.00  |
| 3                           | परिवहन एवं दोना पौधों को प्रत्येक गड्ढों के पास ले जाकर रखना | 24332 पौधा    | 3.00 प्रति पौधा       | 72996.00  |
| 4                           | पौधा रोपण कार्य:-                                            | 22120 पौधा    | 1.65 मा.दि.प्रति सैठ  | 87230.22  |
| 5                           | रासायनिक खाद क्रय:-                                          |               |                       |           |
|                             | (अ) फोरेट 10 ग्राम प्रति पौधा (रोपण के समय)                  | 200 कि.ग्रा.  | 105.00 प्रति कि.ग्रा. | 21000.00  |
|                             | (ब) सुपरफास्फेट 50 ग्राम/पौधा (रोपण के समय)                  | 1000 कि.ग्रा. | 9.50 प्रति कि.ग्रा.   | 9500.00   |
|                             | (स) यूरिया 50 ग्राम प्रति पौधा (निंदाई के समय)               | 1000 कि.ग्रा. | 7.65 प्रति कि.ग्रा.   | 7650.00   |
| 6                           | Monochrotophas/ malathion क्रय                               | L.S.          | 1000.00 प्रति हे०     | 2212.00   |
| 7                           | 1. प्रथम निंदाई कार्य 01 मी. व्यास में                       | 22120 पौधा    | 1.20 मा.दि.प्रति सैठ  | 63440.16  |
|                             | 2. द्वितीय निंदाई कार्य 01 मी. चौड़ी पट्टी में               | 22120 पौधा    | 2.00 मा.दि.प्रति सैठ  | 105733.60 |
|                             | 3. तृतीय निंदाई कार्य 01 मी. व्यास में                       | 22120 पौधा    | 1.20 मा.दि.प्रति सैठ  | 63440.16  |
| 8                           | सुरक्षा कार्य 9 माह 01 श्रमिक                                | 2.212 हे०     | 6206.00/Month         | 74472.00  |
| 9                           | सिंचाई कार्य 6 माह                                           | 2.212 हे०     | 1500/Ha./Month        | 19908.00  |
| 10                          | अन्य व्यय (अग्नि सुरक्षा, फैंसिंग मरम्मत कार्य)              | L.S.          | L.S.                  | 22188.00  |
| प्रति हे० व्यय- 3,13,539.84 |                                                              |               |                       | 693550.14 |
| योग:-                       |                                                              |               |                       |           |

वनपरिक्षेत्र अधिकारी  
वनपरिक्षेत्र: प्रतापपुर

उपवनमण्डल अधिकारी  
उपवनमण्डल प्रतापपुर

वनमण्डल अधिकारी  
सूरजपुर वनमण्डल  
सूरजपुर (छ०गा०)

## तृतीय वर्ष (2019-20)

| क्र.                       | कार्य विवरण                                                                                      | मात्रा     | दर                   | राशि            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------|
| 1                          | रापणी में पौधों का रखरखाव                                                                        | 22120 पौधा | 3.55 प्रति पौधा      | 78526.00        |
| 2                          | निंदाई कार्य:-<br>प्रथम निंदाई कार्य:- 01 मी. व्यास में<br>दूरिया एवं जैविक खाद/कीटनाशक दवा क्रय | 22120 पौधा | 1.20 मा.दि.प्रति सैठ | 63440.16        |
| 3                          | सुरक्षा 12 माह 01 श्रमिक                                                                         | 22120 पौधा | 1.00 प्रति पौधा      | 22120.00        |
| 4                          | रोपित पौधों की सिंचाई 06 माह                                                                     | 2212 हे०   | 6206.00/Month        | 74472.00        |
| 5                          | अन्य आकस्मिक व्यय (अग्नि सुरक्षा, फेंसिंग मरम्मत आदि)                                            | 2212 हे०   | 1500/Ha./Month       | 19908.00        |
| 6                          |                                                                                                  | L.S.       | L.S.                 | 29168.00        |
| प्रति हे० व्यय-1,30,033.50 |                                                                                                  |            |                      | योग:- 287634.16 |

## चतुर्थ वर्ष 2020-21

| क्र.                    | कार्य विवरण                                              | मात्रा     | दर                   | राशि            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------|
| 1                       | प्रथम निंदाई/गुड़ाई/कीटनाशक एवं जैविक खाद डलाई           | 22120 पौधा | 1.20 मा.दि.प्रति सैठ | 63440.16        |
| 2                       | सुरक्षा 12 माह                                           | 2212 हे०   | 6206.00/Month        | 74472.00        |
| 3                       | रोपित पौधों की सिंचाई 06 माह                             | 2212 हे०   | 1500/Ha./Month       | 19908.00        |
| 4                       | अन्य आकस्मिक व्यय- अग्नि सुरक्षा, फेंसिंग मरम्मत इत्यादि | L.S.       | L.S.                 | 10168.00        |
| प्रति हे० व्यय-75944.00 |                                                          |            |                      | योग:- 167988.16 |

वनपरिक्षेत्राधिकारी  
वनपरिक्षेत्र: प्रतापपुर

उपवनमण्डलाधिकारी  
उपवनमण्डल प्रतापपुर

वनमण्डलाधिकारी  
सूरजपुर वनमण्डल  
सूरजपुर (छठगाँव)

**पंचम वर्ष 2021-22**

| क्र.                     | कार्य विवरण                                              | मात्रा    | दर            | राशि        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| 1                        | सुरक्षा 12 माह                                           | 2.212 हे० | 6206.00/Month | 74472.00    |
| 2                        | अन्य आकारिमक व्यय- अग्नि सुरक्षा, फेंसिंग मरम्मत इत्यादि | L.S.      | L.S.          | 25528.00    |
| प्रति हे० व्यय- 45207.96 |                                                          |           |               | योग:-       |
|                          |                                                          |           |               | 1,00,000.00 |

**व्यय का गौश्वारा**

| क्र.                     | विवरण                      | रकबा      | व्यय प्रति हे० | राशि       |
|--------------------------|----------------------------|-----------|----------------|------------|
| 1                        | प्रथम वर्ष कार्य 2017-18   | 2.212 हे० | 409350.56      | 905483.45  |
| 2                        | द्वितीय वर्ष कार्य 2018-19 | 2.212 हे० | 313539.84      | 693550.14  |
| 3                        | तृतीय वर्ष कार्य 2019-20   | 2.212 हे० | 130033.50      | 287634.16  |
| 4                        | चतुर्थ वर्ष कार्य 2020-21  | 2.212 हे० | 75944.00       | 167988.16  |
| 5                        | पंचम वर्ष कार्य 2021-22    | 2.212 हे० | 45207.96       | 100000.00  |
| Per Ha. Cost - 974075.86 |                            |           | Grand Total-   | 2154655.91 |

वनपरिक्षेत्राधिकारी  
वनपरिक्षेत्र: प्रतापपुर

उपवनमण्डलाधिकारी  
उपवनमण्डल प्रतापपुर

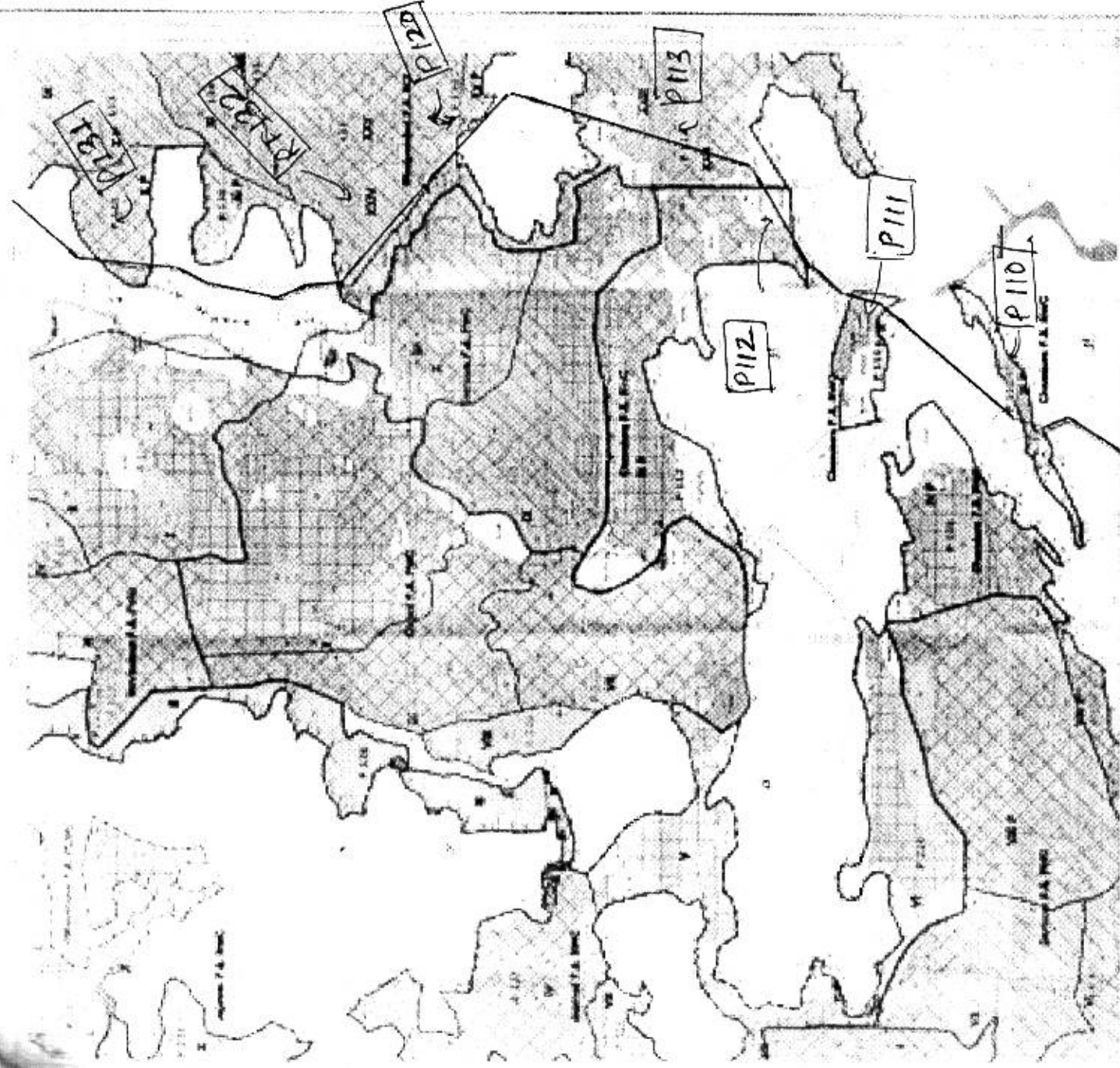
वनमण्डलाधिकारी  
सूरजपुर वनमण्डल  
सूरजपुर (छोगा०)

Univariate tests:  $\chi^2(1) = 1.67, p = 0.197$

3/10  
 Fournier  
 Lapping  
 →  
 in riddle  
 (max)

[illegible]

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.



100-443887-100



**Inventory**

estimate the average effect. It is a frequent mistake to assume that the average effect is the same for all individuals. The average effect is the average of the individual effects, not the effect of the average individual. The average effect is a population parameter, while the effect of the average individual is a sample statistic. The average effect is a fixed quantity, while the effect of the average individual is a random variable. The average effect is a population parameter, while the effect of the average individual is a sample statistic. The average effect is a fixed quantity, while the effect of the average individual is a random variable.

© 1997 by The American Psychological Association  
0893-3200/97/\$12.00 DOI: 10.1037/0893-3200.11.4.427

卷之四

1000

10

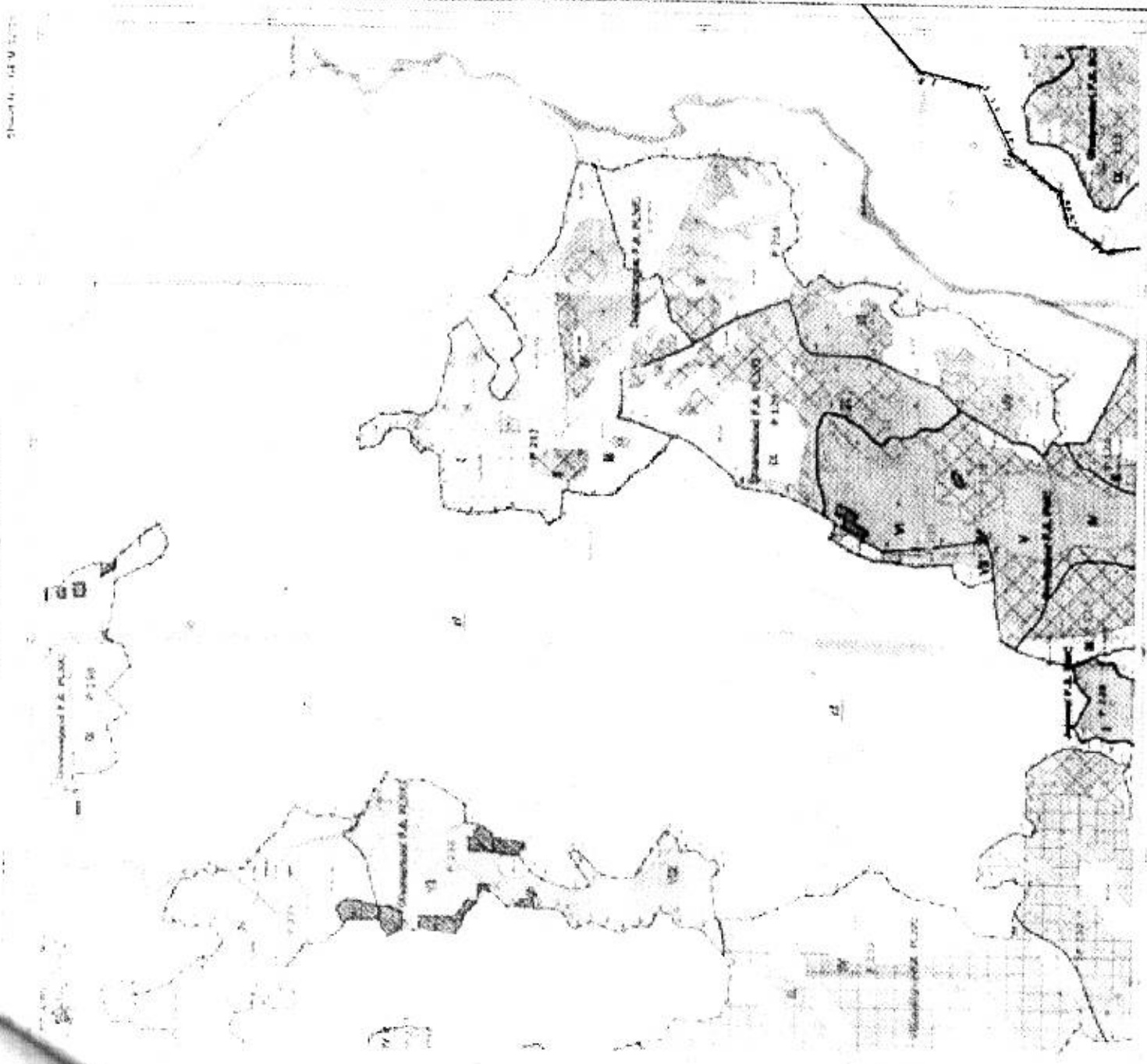
[illegible]

1000

Journal of Interpersonal Violence 26(12)

© 2000 by the American Psychological Association

Chhatisgarh  
 Map to this map is 1:100,000  
**Forest Stock Map**  
 North Surguja Division



**Legend**

SPR, AGP, PMS      MILES TO PMS MAP AT 1:100,000  
 3000 Feet      1000 Feet

**Administrative Units**

State Boundary

**Forest Type**

|     |      |        |        |
|-----|------|--------|--------|
| Sal | Teak | Deodar | Shishu |
| ... | ...  | ...    | ...    |

**Forest Age Class**

1-10 Years      11-20 Years      21-30 Years      31-40 Years      41-50 Years      51-60 Years      61-70 Years      71-80 Years      81-90 Years      91-100 Years

**Notes**

1. This map is a stock map of the North Surguja Division, Chhatisgarh State, India. It shows the forest stock of the division as on 31.12.1974. The map is based on the forest stock map of the division as on 31.12.1974. The map is a stock map and not a map of the forest cover. The map is a stock map and not a map of the forest cover. The map is a stock map and not a map of the forest cover.

Downloaded At: 11:52 11 September 2009



Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

**CONCLUSIONS**

**E**

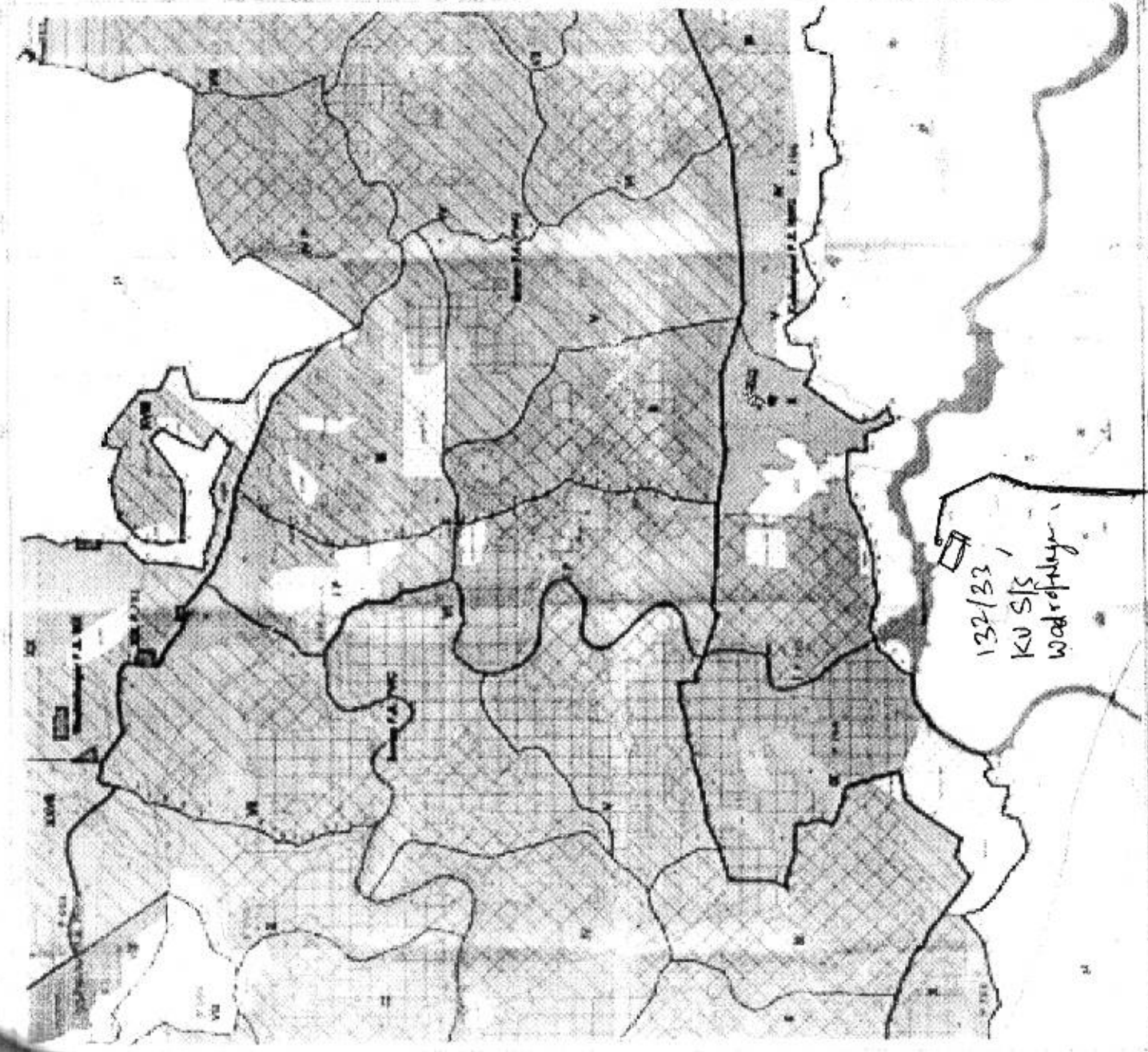


|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |

[illegible]

1. **Introduction**  
 2. **Background**  
 3. **Methodology**  
 4. **Results**  
 5. **Conclusion**  
 6. **References**  
 7. **Appendix**  
 8. **Index**  
 9. **Table of Contents**  
 10. **Figure 1**  
 11. **Figure 2**  
 12. **Figure 3**  
 13. **Figure 4**  
 14. **Figure 5**  
 15. **Figure 6**  
 16. **Figure 7**  
 17. **Figure 8**  
 18. **Figure 9**  
 19. **Figure 10**  
 20. **Figure 11**  
 21. **Figure 12**  
 22. **Figure 13**  
 23. **Figure 14**  
 24. **Figure 15**  
 25. **Figure 16**  
 26. **Figure 17**  
 27. **Figure 18**  
 28. **Figure 19**  
 29. **Figure 20**  
 30. **Figure 21**  
 31. **Figure 22**  
 32. **Figure 23**  
 33. **Figure 24**  
 34. **Figure 25**  
 35. **Figure 26**  
 36. **Figure 27**  
 37. **Figure 28**  
 38. **Figure 29**  
 39. **Figure 30**  
 40. **Figure 31**  
 41. **Figure 32**  
 42. **Figure 33**  
 43. **Figure 34**  
 44. **Figure 35**  
 45. **Figure 36**  
 46. **Figure 37**  
 47. **Figure 38**  
 48. **Figure 39**  
 49. **Figure 40**  
 50. **Figure 41**  
 51. **Figure 42**  
 52. **Figure 43**  
 53. **Figure 44**  
 54. **Figure 45**  
 55. **Figure 46**  
 56. **Figure 47**  
 57. **Figure 48**  
 58. **Figure 49**  
 59. **Figure 50**  
 60. **Figure 51**  
 61. **Figure 52**  
 62. **Figure 53**  
 63. **Figure 54**  
 64. **Figure 55**  
 65. **Figure 56**  
 66. **Figure 57**  
 67. **Figure 58**  
 68. **Figure 59**  
 69. **Figure 60**  
 70. **Figure 61**  
 71. **Figure 62**  
 72. **Figure 63**  
 73. **Figure 64**  
 74. **Figure 65**  
 75. **Figure 66**  
 76. **Figure 67**  
 77. **Figure 68**  
 78. **Figure 69**  
 79. **Figure 70**  
 80. **Figure 71**  
 81. **Figure 72**  
 82. **Figure 73**  
 83. **Figure 74**  
 84. **Figure 75**  
 85. **Figure 76**  
 86. **Figure 77**  
 87. **Figure 78**  
 88. **Figure 79**  
 89. **Figure 80**  
 90. **Figure 81**  
 91. **Figure 82**  
 92. **Figure 83**  
 93. **Figure 84**  
 94. **Figure 85**  
 95. **Figure 86**  
 96. **Figure 87**  
 97. **Figure 88**  
 98. **Figure 89**  
 99. **Figure 90**  
 100. **Figure 91**  
 101. **Figure 92**  
 102. **Figure 93**  
 103. **Figure 94**  
 104. **Figure 95**  
 105. **Figure 96**  
 106. **Figure 97**  
 107. **Figure 98**  
 108. **Figure 99**  
 109. **Figure 100**  
 110. **Figure 101**  
 111. **Figure 102**  
 112. **Figure 103**  
 113. **Figure 104**  
 114. **Figure 105**  
 115. **Figure 106**  
 116. **Figure 107**  
 117. **Figure 108**  
 118. **Figure 109**  
 119. **Figure 110**  
 120. **Figure 111**  
 121. **Figure 112**  
 122. **Figure 113**  
 123. **Figure 114**  
 124. **Figure 115**  
 125. **Figure 116**  
 126. **Figure 117**  
 127. **Figure 118**  
 128. **Figure 119**  
 129. **Figure 120**  
 130. **Figure 121**  
 131. **Figure 122**  
 132. **Figure 123**  
 133. **Figure 124**  
 134. **Figure 125**  
 135. **Figure 126**  
 136. **Figure 127**  
 137. **Figure 128**  
 138. **Figure 129**  
 139. **Figure 130**  
 140. **Figure 131**  
 141. **Figure 132**  
 142. **Figure 133**  
 143. **Figure 134**  
 144. **Figure 135**  
 145. **Figure 136**  
 146. **Figure 137**  
 147. **Figure 138**  
 148. **Figure 139**  
 149. **Figure 140**  
 150. **Figure 141**  
 151. **Figure 142**  
 152. **Figure 143**  
 153. **Figure 144**  
 154. **Figure 145**  
 155. **Figure 146**  
 156. **Figure 147**  
 157. **Figure 148**  
 158. **Figure 149**  
 159. **Figure 150**  
 160. **Figure 151**  
 161. **Figure 152**  
 162. **Figure 153**  
 163. **Figure 154**  
 164. **Figure 155**  
 165. **Figure 156**  
 166. **Figure 157**  
 167. **Figure 158**  
 168. **Figure 159**  
 169. **Figure 160**  
 170. **Figure 161**  
 171. **Figure 162**  
 172. **Figure 163**  
 173. **Figure 164**  
 174. **Figure 165**  
 175. **Figure 166**  
 176. **Figure 167**  
 177. **Figure 168**  
 178. **Figure 169**  
 179. **Figure 170**  
 180. **Figure 171**  
 181. **Figure 172**  
 182. **Figure 173**  
 183. **Figure 174**  
 184. **Figure 175**  
 185. **Figure 176**  
 186. **Figure 177**  
 187. **Figure 178**  
 188. **Figure 179**  
 189. **Figure 180**  
 190. **Figure 181**  
 191. **Figure 182**  
 192. **Figure 183**  
 193. **Figure 184**  
 194. **Figure 185**  
 195. **Figure 186**  
 196. **Figure 187**  
 197. **Figure 188**  
 198. **Figure 189**  
 199. **Figure 190**  
 200. **Figure 191**  
 201. **Figure 192**  
 202. **Figure 193**  
 203. **Figure 194**  
 204. **Figure 195**  
 205. **Figure 196**  
 206. **Figure 197**  
 207. **Figure 198**  
 208. **Figure 199**  
 209. **Figure 200**  
 210. **Figure 201**  
 211. **Figure 202**  
 212. **Figure 203**  
 213. **Figure 204**  
 214. **Figure 205**  
 215. **Figure 206**  
 216. **Figure 207**  
 217. **Figure 208**

 Chandigarh  
405012, 2000 MAC 64, 170000  
Forest Stock Map  
North Sarguja Division



132/33,  
KV S/S  
Ward of the day

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |

This image displays a variety of postage stamps and postal markings. On the left, there is a large '10' stamp with a portrait of a man. Below it is a '100' stamp with a portrait of a man. To the right of these are several smaller stamps with different denominations and designs, including a '5' stamp, a '10' stamp, and a '20' stamp. There are also several postal markings, including a '10' stamp, a '100' stamp, and a '20' stamp. The stamps and markings are arranged in a grid-like pattern.

[illegible]

**राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय,**

महानदी भवन, नया रायपुर

// सशोधित आदेश //

नया रायपुर दिनांक 01 / 06 / 2016

क0/एफ-7-7/सात-1/2014:- विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20.2.2015 के द्वारा राज्य में 132 के.वी. या उससे अधिक क्षमता के विद्युत पारेषण लाइनों की स्थापना हेतु लगाये जाने वाले टावर लाइनों से प्रभावित भूमि तथा विद्युत लाइनों के नीचे स्थित भूमि के लिए क्षतिपूर्ति के भुगतान करने का प्रावधान किया गया है तथा क्षतिपूर्ति दर निर्धारित की गई है।

2. भारत सरकार, उर्जा मंत्रालय के पत्र क्रमांक 3/7/2015-ट्रांस. दिनांक 15.10.2015 के माध्यम से, ट्रांसमिशन लाईन की स्थापना हेतु "राइट-ऑफ-वे" के अंतर्गत-प्रभावित भूमि के उपयोग के मामले में देय गुआपजा के आकलन करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसमें उनके द्वारा 132 के.वी. के स्थान पर 66 के.वी. या उससे अधिक क्षमता के टावर निर्धारित की गई हैं, जो कि राज्य में निर्धारित दर से अधिक है।

3. अतः राज्य शासन के क्षतिपूर्ति दरों को भारत शासन के दरों के अनुरूप करने के प्रयाजन से राज्य शासन एतद् द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 20.2.2015 के कण्डिका-4 को विलोपित कर उसके स्थान पर निम्नानुसार नवीन कण्डिका-4 प्रतिस्थापित करती है :-

4. उपरोक्त स्थिति पर शासन के द्वारा गंभीरतापूर्वक विचार किया गया। तदनुसार जनहित को ध्यान में रखकर शासन द्वारा प्रदेश में 66 के.वी. या उससे अधिक क्षमता के विद्युत टावर स्थापना तथा विद्युत पारेषण हेतु टावर लाईन विछाने के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के क्षतिपूर्ति के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

1. भूमि पर प्रवेश से हुई क्षति के लिए दी जाने वाली क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त भूमिस्वामी को टावर की स्थापना हेतु उपयोग में लाई गई भूमि के क्षेत्रफल के प्रचलित बाजार मूल्य का 85 प्रतिशत क्षतिपूर्ति दी जावेगी।

2. विद्युत लाईन के नीचे टावर के दोनों ओर के बाहरी तारों के बीच की चौड़ाई में स्थित भूमि के क्षेत्रफल के बाजार मूल्य का 15 प्रतिशत क्षतिपूर्ति दी जावेगी। इस हेतु दोनों बाहरी तारों के बीच की चौड़ाई निम्नानुसार मानी जावेगी :-

| संक्र0 | पारेषण क्षमता | दोनों बाहरी तारों के बीच की चौड़ाई (मीटर में) |
|--------|---------------|-----------------------------------------------|
| 1      | 66 के.वी.     | 18 मीटर                                       |
| 2      | 110 के.वी.    | 22 मीटर                                       |

Dr. Jayraj/Leter.doc

|   |               |         |
|---|---------------|---------|
| 3 | 132 के.व्ही.  | 27 मीटर |
| 4 | 220 के.व्ही.  | 35 मीटर |
| 5 | 400 के.व्ही.  | 46 मीटर |
| 6 | 500 के.व्ही.  | 52 मीटर |
| 7 | 765 के.व्ही.  | 64 मीटर |
| 8 | 800 के.व्ही.  | 67 मीटर |
| 9 | 1200 के.व्ही. | 89 मीटर |

- उपरोक्तानुसार दी जाने वाली राशि मात्र क्षतिपूर्ति होगी। भूमि पूर्ववत भूमिस्वामी के नाम पर भूमिस्वामी हक में दर्ज रहेगी।
- किसी भी नियम में अन्यथा उपबंधित होने पर भी कृषि भूमि के लिये क्षतिपूर्ति कृषि भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर तथा गैर कृषि भूमि की क्षति उसके लिये प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर देय होगी।
- यह क्षतिपूर्ति केवल विद्युत पारेशन लाईन के लिये देय होगी। इसके अंतर्गत विद्युत वितरण लाईन शामिल नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

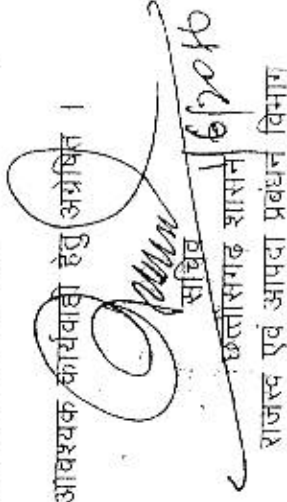
  
(के.आर.मिस्त्री)  
सचिव 16/2016

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
रायपुर, दिनांक 01/06/2016

पृष्ठमांक एफ-7-7/सात-1/2014  
प्रतिलिपि :-

- विशेष सहायक, मानवमंत्री जी 'उ.ग.शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय।
- प्रमुख सचिव, छ0ग0शासन, उर्जा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर को उनके पत्र फंमांक 352/एफ 21/11/2015/13/2 दिनांक 9.2.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- आयुक्त, रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/सरगुजा एवं बस्तर संगम, छ0ग0
- आयुक्त, भू-अभिलेख, छ0ग0 रायपुर।
- समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
सचिव 16/2016  
छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

FORM - I  
(For Linear project)  
Government of Chhattisgarh  
Office of the District Collector Surajpur  
To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

R.C.No. 3/B-121/16-17  
Dated - 15.11.2016

No. ....

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter No- 11-9/98 FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest right) act 2006 ( 'FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation on respect of linear projects, it is certified that 19,907 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Chhattisgarh State Power Transmission Co. Ltd. for LILO of 132 KV. Bishrampur-Pratappur line from location no 31/0 to 132/33 KV Sub Station Wadrafnagar in Surajpur District falls with in jurisdiction of Podi, Darhora, Chatpendari, Nawadhakki, Bhediya, Pahadkarwa, Dandkarwa, Rampur, Chachidand villages of Pratappur tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for indentification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 19,907 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub division level committee (s) and the District level committee are enclosed as annexure 01 to annexure 169.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA has been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribes Groups and Pre-agricultural Communities.

Encl: As above.

  
(G.R. Churendra)  
COLLECTOR  
DIST. - SURAJPUR

| क्र.सं. | ग्राम  | प्रस्तावित का<br>गुण | मूल्य का<br>रहित | खजाना<br>नं० | एकड़ों में | विद्युत लाइन में<br>प्रति मीटर<br>की दर | मद      | FRA के तहत 10%<br>अधिक कीमत |
|---------|--------|----------------------|------------------|--------------|------------|-----------------------------------------|---------|-----------------------------|
| 2       | 3      | 4                    | 5                | 6            | 7          | 8                                       | 9       |                             |
| पट्टा   | समाप्त | 16                   | 214              | 0.09         | 0.04       | राजस्व वन भूमि                          | निर्वाह |                             |
| पट्टा   | समाप्त | 16                   | 212              | 0.13         | 0.08       | राजस्व वन भूमि                          | निर्वाह |                             |
| पट्टा   | समाप्त | 16                   | 50               | 0.08         | 0.01       | राजस्व वन भूमि                          | निर्वाह |                             |
| पट्टा   | समाप्त | 16                   | 83               | 0.42         | 0.04       | राजस्व वन भूमि                          | निर्वाह |                             |
| पट्टा   | समाप्त | 16                   | 82               | 0.19         | 0.03       | राजस्व वन भूमि                          | निर्वाह |                             |
| पट्टा   | समाप्त | 16                   | 73               | 0.42         | 0.08       | राजस्व वन भूमि                          | निर्वाह |                             |
| पट्टा   | समाप्त | 17                   | 1411             | 0.55         | 0.08       | राजस्व वन भूमि                          | निर्वाह |                             |
| पट्टा   | समाप्त | 17                   | 1426             | 0.61         | 0.09       | राजस्व वन भूमि                          | निर्वाह |                             |
| पट्टा   | समाप्त | 17                   | 1427             | 1.2          | 0.09       | राजस्व वन भूमि                          | निर्वाह |                             |
| पट्टा   | समाप्त | 17                   | 1428             | 1.37         | 0.1        | राजस्व वन भूमि                          | निर्वाह |                             |
| पट्टा   | समाप्त | 17                   | 1430             | 0.35         | 0.02       | राजस्व वन भूमि                          | निर्वाह |                             |
| पट्टा   | समाप्त | 17                   | 1603             | 0.24         | 0.02       | राजस्व वन भूमि                          | निर्वाह |                             |
| पट्टा   | समाप्त | 17                   | 263              | 0.07         | 0.01       | राजस्व वन भूमि                          | निर्वाह |                             |
| पट्टा   | समाप्त | 17                   | 255              | 1.19         | 0.06       | राजस्व वन भूमि                          | निर्वाह |                             |

|        |          |   |     |      |      |                |                            |
|--------|----------|---|-----|------|------|----------------|----------------------------|
| नवाधकी | देवरी    | 8 | 164 | 3.24 | 0.06 | राजस्व वन भूमि | निरंक                      |
| नवाधकी | देवरी    | 8 | 166 | 0.62 | 0.04 | राजस्व वन भूमि | निरंक                      |
| नवाधकी | देवरी    | 8 | 168 | 0.61 | 0.04 | राजस्व वन भूमि | निरंक                      |
| नवाधकी | देवरी    | 8 | 117 | 0.64 | 0.06 | राजस्व वन भूमि | निरंक                      |
| नवाधकी | देवरी    | 8 | 161 | 0.66 | 0.05 | राजस्व वन भूमि | निरंक                      |
| नवाधकी | देवरी    | 8 | 166 | 1.35 | 0.02 | राजस्व वन भूमि | निरंक                      |
| नवाधकी | देवरी    | 8 | 181 | 2.74 | 0.09 | राजस्व वन भूमि | निरंक                      |
| नवाधकी | देवरी    | 8 | 180 | 1.25 | 0.05 | राजस्व वन भूमि | निरंक                      |
| नवाधकी | देवरी    | 8 | 179 | 4.03 | 0.26 | राजस्व वन भूमि | श्री भजन आठ मानवाय<br>गोंड |
| नवाधकी | देवरी    | 8 | 178 | 1.38 | 0.03 | राजस्व वन भूमि | श्री रामजीत आठ लहज<br>गोंड |
| नवाधकी | पहाडकरवा | 8 | 88  | 4.16 | 0.22 | राजस्व वन भूमि | निरंक                      |
| नवाधकी | पहाडकरवा | 8 | 94  | 0.28 | 0.05 | राजस्व वन भूमि | निरंक                      |
| नवाधकी | पहाडकरवा | 8 | 132 | 1.35 | 0.35 | राजस्व वन भूमि | निरंक                      |
| नवाधकी | पहाडकरवा | 8 | 133 | 0.6  | 0.02 | राजस्व वन भूमि | निरंक                      |
| नवाधकी | पहाडकरवा | 8 | 135 | 0.18 | 0.02 | राजस्व वन भूमि | निरंक                      |
| नवाधकी | पहाडकरवा | 8 | 145 | 0.34 | 0.08 | राजस्व वन भूमि | निरंक                      |
| नवाधकी | पहाडकरवा | 8 | 147 | 0.32 | 0.32 | राजस्व वन भूमि | निरंक                      |
| नवाधकी | पहाडकरवा | 8 | 177 | 3.32 | 0.14 | राजस्व वन भूमि | निरंक                      |
| नवाधकी | पहाडकरवा | 8 | 178 | 0.41 | 0.22 | राजस्व वन भूमि | निरंक                      |
| नवाधकी | पहाडकरवा | 8 | 192 | 1    | 0.07 | राजस्व वन भूमि | निरंक                      |
| नवाधकी | पहाडकरवा | 8 | 236 | 0.1  | 0.05 | राजस्व वन भूमि | निरंक                      |

|        |        |   |      |      |      |                |                                                            |
|--------|--------|---|------|------|------|----------------|------------------------------------------------------------|
| मंडिया | मंडिया | 7 | 987  | 0.13 | 0.06 | राजस्व वन भूमि | निरंक                                                      |
| मंडिया | मंडिया | 7 | 988  | 0.48 | 0.18 | राजस्व वन भूमि | निरंक                                                      |
| मंडिया | मंडिया | 7 | 990  | 0.82 | 0.06 | राजस्व वन भूमि | निरंक                                                      |
| मंडिया | मंडिया | 7 | 989  | 0.8  | 0.09 | राजस्व वन भूमि | निरंक                                                      |
| मंडिया | मंडिया | 7 | 996  | 0.14 | 0.03 | राजस्व वन भूमि | निरंक                                                      |
| मंडिया | मंडिया | 7 | 994  | 0.31 | 0.16 | राजस्व वन भूमि | निरंक                                                      |
| मंडिया | मंडिया | 7 | 995  | 0.14 | 0.08 | राजस्व वन भूमि | 1) श्री अमरासो आ0<br>जगनारायण<br>2) श्री रामवृक्ष आ0 दर्शन |
| मंडिया | मंडिया | 7 | 1000 | 0.3  | 0.02 | राजस्व वन भूमि | निरंक                                                      |
| मंडिया | मंडिया | 7 | 1014 | 0.18 | 0.05 | राजस्व वन भूमि | निरंक                                                      |
| मंडिया | मंडिया | 7 | 1017 | 0.53 | 0.11 | राजस्व वन भूमि | निरंक                                                      |
| मंडिया | मंडिया | 7 | 1021 | 0.53 | 0.28 | राजस्व वन भूमि | निरंक                                                      |
| मंडिया | मंडिया | 7 | 1022 | 0.21 | 0.16 | राजस्व वन भूमि | निरंक                                                      |
| मंडिया | मंडिया | 7 | 1028 | 0.07 | 0.01 | राजस्व वन भूमि | निरंक                                                      |
| मंडिया | मंडिया | 7 | 1038 | 3.2  | 0.06 | राजस्व वन भूमि | निरंक                                                      |
| मंडिया | मंडिया | 7 | 1031 | 0.06 | 0.05 | राजस्व वन भूमि | निरंक                                                      |
| मंडिया | मंडिया | 8 | 147  | 1.05 | 0.3  | राजस्व वन भूमि | निरंक                                                      |
| मंडिया | मंडिया | 8 | 188  | 5.16 | 0.34 | राजस्व वन भूमि | निरंक                                                      |
| मंडिया | मंडिया | 8 | 244  | 0.92 | 0.06 | राजस्व वन भूमि | श्री प्रेमसाय आ0<br>रामसुन्दनर                             |
| मंडिया | मंडिया | 8 | 245  | 0.73 | 0.24 | राजस्व वन भूमि | निरंक                                                      |

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \right)$$

| वार्ड            | रामपुर | 5 | 199 | 1.03  | 0.14   | राजस्व वन भूमि | निरंक |
|------------------|--------|---|-----|-------|--------|----------------|-------|
| बौधोडाड          | रामपुर | 5 | 284 | 2.35  | 0.05   | राजस्व वन भूमि | निरंक |
| बौधोडाड          | रामपुर | 5 | 286 | 0.91  | 0.07   | राजस्व वन भूमि | निरंक |
| बौधोडाड          | रामपुर | 5 | 308 | 1.33  | 0.04   | राजस्व वन भूमि | निरंक |
| योग              |        |   |     | 77.01 | 8.360  | हेक्टेयर       |       |
| संरक्षित वन भूमि |        |   |     |       | 7.450  | हेक्टेयर       |       |
| आरक्षित वन भूमि  |        |   |     |       | 4.097  | हेक्टेयर       |       |
| महायोग           |        |   |     |       | 19.907 | हेक्टेयर       |       |

प्रस्तावित भूमि पर विचार करने हेतु आज दिनांक 07/11/2016 को उपखण्ड स्तरीय भूमि की बैठक आयोजित कि गई जिसमें परीक्षण के उपरान्त यह पाया गया कि प्रस्तावित भूमि में वन अधिकार अधिनियम के तहत पंक्ति क्र० 9 में उल्लेखित अनुसार (06हितग्राहियों) हितग्राहियों को व्यक्तिगत दावे मान्यता प्रमाण पत्र विस्तारित किया गया है। इसके अतिरिक्त उल्लेखित खसरो में मान्यता प्रमाण पत्र जारी करना शेष नहीं है।

अतः उपरोक्त प्रस्तावित भूमि पर 132 केही विद्युत लाईन निर्माण किये जाने हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुशंशा कर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

  
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति प्रतापपुर

श्री संतोष सिंह

सदस्य, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति प्रतापपुर

  
श्री राम कुमार

सदस्य, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति प्रतापपुर

  
श्री बुध साय

सदस्य, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति प्रतापपुर

  
मंजुल संयोजक

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति प्रतापपुर

  
उप मंडलाधिकारी  
प्रतापपुर